

श्री. वी. प्र.

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून  
Forest Survey of India, Dehra Dun  
दि. पंजा / Diary No. 8300  
दिना / Date

श्री. वी. प्र. (PIO)

भारतीय वन सर्वेक्षण, जो. अ. अ. इ.,  
कौ. ला. अ. अ. इ., देहरादून (इ. ए. ए.)  
248195

04-08-20

विषय :- सूचना की माँगकर अधिसूचना 2005 के अंतर्गत निम्न सूचना  
अनुसार आवेदन की सुविधा में।

महोदय,

आधी उक्त चर्चे ~~की~~ व. अ. अ. इ. पी. ओ. नं. 751261900034/8981-82  
(आ. अ. इ.)

भारतीय वन सर्वेक्षण, कौ. ला. अ. अ. इ., देहरादून से 21.01.2019 की संवा. निबृत्त  
दस्तावे में। मेरा अधिसूचित भवकाश की गार्डीयन विद्वान्त, 2018 तक के 9%  
मंडगारि गले की आंशिक पर गठना करने सुगतीन किया गया था, जेवना  
जनवरी, 2019 से 3% मंडगारि गले पर किया था एवं 12% की उका है।

सुगतीन सम्बन्धित मासिक आदेश संख्या 5-1/95 प्रशा. (1) 2004 दिनांक 1. फरवरी  
2019 भा. व. सं. देहरादून को अवलोकित किया जा सकता है।

आधी के जुलाई, 2019 के प्रथम सत्र के भी जनवरी, 2019 में वह  
3% मंडगारि गले के सुगतीन के लिए इच्छुक निम्न पर लक्ष्य 1.5 लाख  
वर्षों पर भी अभी तक अधिसूचित भवकाश गार्डीयन के 3% के सुगतीन पर कोई  
अर्ज नहीं हुई। यह अंतर राशि लगभग 19,600/- है।

1. अधिसूचित भवकाश गार्डीयन राशि के अंतर का सुगतीन करने में निम्न  
रकम लक्ष्यों, एवं अर्जवाले होना ?

2. इस के निस्तम के लिए (1/2 वर्ष) तक इस अंतर का निम्न  
राशि का सुगतीन कार्य करेंगा ?

3. इस लक्ष्य की पूर्णता का आवास की अंतर का किया जाएगा ?

सूचना प्रदान करने का 10/- (दशको मान) का भारतीय पोस्टल आर्डर  
संख्या 49 F 772231 कल. लखनऊ भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून का ही लक्षण है।

जो व. व. अ. इ. जो पत्रिका,  
त. देहरादून जिला मंडगारि,  
(अ. अ. इ.) 177101

भारतीय  
2019/20  
उत्तर (व. अ. अ. इ.)  
श्री. वी.

Received on  
03/08/2020

Amal  
03/08

O-S  
03/08/2020

Shri Amal

संख्या: 13-14/2020-प्रशासन-707

भारत सरकार  
भारतीय वन सर्वेक्षण  
कौलागढ़ मार्ग, देहरादून ।

दिनांक 22 सितम्बर  
अगस्त, 2020

सेवा में,

Sh. Uttam Chand,  
At-Jukandi, PO- Paisa,  
Tehsil- Dehragopipur, Dehragopipur Kangra,  
Himachal Pradesh-177101


Sub:- RTI Application of Sh. Uttam Chand under RTI Act-2005.

महोदय,


उपरोक्त विषय में आपके दो आर०टी०आई० आवेदन के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना संलग्न की जा रही है। प्रशासन अनुभाग में कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण होने की वजह से प्रशासन अनुभाग कार्यालय द्वारा बंद कर दिया गया था जिसके कारण जवाब में विलम्ब हुआ है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (18-20)

भवदीय,

  
(कमल पाण्डेय)

लोक सूचना अधिकारी 6/1

  
22/9/2020



Forest Survey of India, Dehra Dun  
D/o वन / Diary No. 8326  
दिनांक / Date 14-08-20

संख्या 13-14/2019-प्रशासन - 6817  
भारत सरकार  
भारतीय वन सर्वेक्षण  
पो०ओ०-आई०पी०ई०  
कौलागढ़ रोड, देहरादून-248195

दिनांक 10 अगस्त, 2020

सेवा में,  
लोक सूचना अधिकारी  
भारतीय वन सर्वेक्षण  
कौलागढ़ रोड देहरादून ।

**Sub: RTI under the Right to Information Act, 2005.**

संदर्भ:- पत्र संख्या 13-14/2020 प्रशासन-6775 दिनांक 05.08.2020

महोदय,  
उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि श्री उत्तम चन्द, पूर्व व.त.स. के अर्जित अवकाश नगदीकरण राशि एवं ग्रैचुटी के भुगतान के संबंध में पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) आगामी कार्यवाही हेतु वेतन एवं लेखा अधिकारी (वन) नई दिल्ली को भेजा जा चुका है।

भवदीय,




(डा० सुनील चन्द्र)

उप निदेशक(का० एवं प्र०)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
11/08

  
11/8  
Sh. Anmol

SPEED POST

19

संख्या:5-1/95-प्रशासन-(I) - 5810

भारत सरकार,  
भारतीय वन सर्वेक्षण,  
पोस्ट ऑफिस-आई०पी०ई०,कौलागढ़ मार्ग  
देहरादून-248195

दिनांक 25 फरवरी, 2020

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (वन)  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
7वाँ तल जल खण्ड, इन्दिरा पर्यावरण भवन,  
जोर बाग मार्ग, अलीगंज  
नई दिल्ली -110003 ।

विषय:- Revision of Gratuity and Leave Encashment of PPO No. - 751261900034 of  
Sh. Uttam Chand.

महोदय,

श्री उत्तम चन्द, व.त.स., इस कार्यालय से दिनांक 31.01.2019 को वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने अपने पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि सेवानिवृत्ति के समय डी.ए. 9% की दर से उन्हें gratuity और leave encashment का भुगतान किया गया था। जनवरी, 2019 में डी.ए. में 3% की वृद्धि हुई है। उन्होंने अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि डी.ए. की संशोधित दर 12% के अनुसार उनकी gratuity और leave encashment की गणना करके उन्हें अन्तर का भुगतान किया जाए।

इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन की मूलप्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु संलग्न की जाती है ।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुशांत शर्मा)

संयुक्त निदेशक (का० एवं प्र०)

प्रतिलिपि:- Sh. Uttam Chand, Ex STA, At-Jukandi, PO- Paisa, Tehsil- Dehragopipur,  
Dehragopipur Kangra, Himachal Pradesh-177101

(सुशांत शर्मा)

संयुक्त निदेशक (का० एवं प्र०)

उप निदेशक (का० एवं प्र०)  
भारतीय वन सर्वेक्षण  
देहरादून

25/2/2020

all  
Amol

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून  
Forest Survey of India, Dehra Dun  
File No. / Diary No. 4321  
14-08-20

संख्या 13-9/2012-प्रशासन - 6821

भारत सरकार  
भारतीय वन सर्वेक्षण,  
पो0ओ0-आई0पी0ई0, कौलागढ़ रोड,  
देहरादून -248 195

RTI Matter



दिनांक 10 अगस्त, 2020

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी  
भारतीय वन सर्वेक्षण,  
देहरादून ।

Sub:- RTI Application under the Right to Information Act, 2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय में लोक सूचना अधिकारी, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के पत्र संख्या 13-4/2020-प्रशासन -6775 दिनांक 05.08.2020 के सन्दर्भ में श्री उत्तम चन्द, हिमाचल प्रदेश की आर0टी0आई0 आवेदन पत्र के विषय में निम्नलिखित सूचना भेजी जाती है:-

1. भर्ती वर्ष 2019 (Recruitment year 2019) के रिक्त पदों को भर्ती नियम 2018 के अनुसार भरा गया । उक्त भर्ती नियमों के अनुसार, दिनांक 01.01.2019 को पात्र अभ्यर्थियों (eligible candidates) की पदोन्नति हेतु UPSC में दिनांक 03.02.2020 को सम्पन्न हुई DPC की बैठक में विचार किया गया । दिनांक 01.01.2019 को श्री उत्तम चन्द ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर 08 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली थी, अतः उनके नाम का भी उक्त DPC में विचार किया गया तथा DPC द्वारा उनके नाम की अनुसंशा की गई । चूंकि श्री उत्तम चन्द दिनांक 31.01.2019 की अपराह्न को सेवा निवृत्त हो चुके थे अतः उन्हें सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया ।
2. सहायक निदेशक के पदों को भरने में कोई भेदभाव पूर्ण तरीका नहीं अपनाया गया । अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद को, अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकारी आदेशों के अनुसार अन्य तरीके से भरने की कार्यवाही की जाती है ।

Amal  
14/08

O/S. Sh. Amal  
11/8/20  
Sh. Amal

भवदीय

सुनील चन्द्र

(डा0 सुनील चन्द्र)  
उप निदेशक (का0 एवं प्र0)